कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र --I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), सुपौल
जिला– सुपौल

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, सुपौल के 24.10.2011 से अप्रैल 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 403/17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14694/281 **दिनांक–** 27.11.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सुपौल

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
समाजिक प्रक्षेत्र–।

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–403/17–18
प्रस्तावना
भाग–।

1	कार्यालय का नाम	कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सुपौल
2	मुख्य अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री सुधीर कुमार दास, शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
3	अधीक्षण अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री सुरेन्द्र तिवारी, शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
4	कार्यपालक अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री अनिल कुमार शर्मा, जिला शहरी विकास अभिकरण, सुपौल
5	लेखा की अवधि	24. 10. 2011 से अप्रैल/2017 तक
6	लेखा परीक्षा की अवधि	दिनांक 08.05..2017 से 18.05..2017 तक
7	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	अभिकरण के 24.10..2011 से माह 04/2017 तक के लेखाओं की नमूना जॉच की गयी। माह **08/2015, एवं 07/2016** के लेखाओं की विस्तृत जॉच की गयी। उक्त अवधि के लिए स्थापना से संबंधित अभिलेखों की भी जॉच की गयी।
8	लेखा परीक्षा दल के सदस्यगण	श्री उदय नाथ ठाकुर, ले0प0अ0 श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल, स0ले0प0अ0 श्री अमर नाथ कुमार स0ले0प0अ0 श्री धर्मेन्द्र कुमार, व0ले0प0
9	क्या कार्यपालक अभियन्ता के साथ विचार– विमर्श हुआ	हाँ

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सुपौल द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग–II

खण्ड–क

कंडिका सं0 1

(क) अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सुपौल के लेखा परीक्षा के दौरान निम्न अभिलेख अप्रस्तुत/असंधारित पाये गयेः–

1. स्थापना से संबंधित रोकड़पंजी एवं विपत्र पंज़ी
2. अग्रिम पंजी
3. सम्पत्ति पंजी
4. स्थायी एवं अस्थायी सामग्री की स्टॉक पंजी
5 शिकायत पंजी
6 योजनाओं के संबंध में लेजर (Ledger)
7. चेक निर्गत पंजी
8. बैंक गारंटी पंजी
9. टी. एण्ड पी. रजिस्टर
10 रोकड़ वही की सूची/बैंक खाता की सूची
11 उच्चाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण की संचिका
12 नाजीर रसीद/ भंडार पंजी
13. Interest Bearing Register
14. उपयोगिता प्रमाण पत्र/लंबित डी.सी. बिल
15. पी.पी.पी. मोड पर कराये गये कार्य का ब्यौरा
16 आकस्मिक व्यय पंजी
17 कोषागार चालान
18 List of pending/ Blockage/ Abondoned works with related record's/files.

जवाब में कहा गया कि दस्तावेजों / पंजियों का संधारण किया जायगा ।

(ख) अभिश्रव अप्रस्तुत (रू 56,20,588.70)

जिला शहरी विकास अभिकरण, सुपौल द्वारा अपलब्ध कराए गए रोकड़वही के नमूना जाँच में पाया गया कि विभिन्न प्रकार के व्यय से संबंधित कुल राशि– 56,20,588.70 का अभिश्रव बार– बार मौखिक रूप से कहे जाने के बावजूद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। (परिशिष्ट– । पर संलग्न)।

उत्तर में बताया गया कि पूर्ण कालिक लेखालिपिक नहीं रहने के कारण इस प्रकार की भूल हो रही है । अभिश्रव खोजकर अगले अंकेक्षण दल को दे दिया जायेगा

भाग–II

खण्ड– ख

कंडिका सं0 –2

(क) राशि का संभावित दुर्विनियोजन रू–81,95,747.00 एवं ₹ 3239997/–

बिहार कोषागार संहिता भाग– । के नियम 86 के अनुसार सभी लेन देन को तत्समय रोकड़ बही में दर्ज किया जाना चाहिए।

जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक की नमूना जाँच में पाया गया कि दिनांक–24.10.2011 से 31.03.2017 के बीच विभिन्न बैंकों से मो0– ₹ 81,95,747.00 की वैसी निकासी की गई जिसका रोकड बही में संधारण नहीं किया गया (विवरणी संलग्न)। इस प्रकार बगैर रोकड़ बही में प्रविष्टि के बैंक से राशि की निकासी रू– 8195747.00 के दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उतर में बताया गया कि जॉचोपरान्त लेखापरीक्षा कार्या0 को अवगत करा दिया जाएगा।

(ख) बैंक से निकास की गई राशि से रोकड़ बही में अधिक राशि दर्ज - (₹ 3239997)

जिला शहरी विकास अभिकरण सुपौल द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक की नमूना जाँच में पाया गया कि बैंक से विभिन्न चेक संख्याओं द्वारा निकासी कि गई राशि को समान चेक संख्याओं द्वारा रोकड़ बही में अधिक राशि ₹ 3239997.00 (5423787.00 –2183790.00) (विवरणी संलग्न) दर्ज किया गया था।

साथ ही यह भी पाया गया कि राशि रू– 5083512 विभिन्न तिथियों को रोकड़ बही में भुगतान पक्ष में दर्ज किया गया है परन्तु इस राशि की निकासी बैंक पासबुक में प्रदर्शित नहीं हो सकी है। (विवरणी संलग्न) । नियमानुसार राशि की निकासी बैंक से नहीं होने की स्थिति में सभी राशि को प्राप्ति पक्ष में दर्ज कर लिया जाना चाहिए। रोकड़ बही में दर्ज किये गये भुगतान को बैंक के द्वारा भुनाए जाने की परिस्थिति में भी राशि को पुनः प्राप्ति पत्र में नहीं दर्शाना या बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया जाना वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

उत्तर में बताया गया कि जांचोपरान्त लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा ।

जवाब मान्य नहीं है। मामला वित्तीय अनियमितता से संबंधित है। अत; इसे उच्चाधिकारी की जानकारी में लाया जा सकता है।

कंडिका सं0 3 वसूलनीय राशि– ₹ 1.29 लाख

(क) वैट की कम कटौती किये जाने के फलस्वरुप सरकार को राजस्व की हानि मो0. 0.50 लाख

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 के अनुसंगी अधिसूचना संख्या 242 दिनांक 28.09.2016 सह पठित उप नियम 3 क में संलग्न टेबल में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर पक्की सडक का निर्माण (मिट्टी कार्य के साथ) में कार्य संविदा मद में स्त्रोत पर 6 प्रतिशत वैट की कटौती के संबंध में स्पष्ट निदेश दिया गया है । कार्यपालक अभियन्ता जिला शहरी विकास अभिकरण, सुपौल द्वारा उपलब्ध कराये गये लेखाभिलेख

की नमूना जांच के कम मे पाया गया कि माह अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016 तक विभिन्न योजना मद के विपत्र के माध्यम से किये गये भुगतान में से उक्त अधिसूचना के अनुसार स्त्रोत पर वैट की कटौती 6 प्रतिशत न कर मात्र 5 प्रतिशत की गयी है विवरण निम्नानुसार है :–

l.no.	*Name of scheme*	*Voucher No.*	*Date of cash book*	*Bill Value*	*Vat deducted @5%*	*Vat to be deducted @6%*	*Less deduction of vat*	*Name of agency*
1	*MMNVY*	-	*1.10.2016*	3658615	*182931*	*219517*	*36586*	*Shivsakti const.*
2	*MMNVY*	-	*15.11.2016*	1310850	*65542*	78651	13109	*Harekrishn Lal Das*

कम कटौती किये जाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में बताया गया कि वैट मद में कम राशि की कटौती के संबंध में जबाब दिया जाएगा ।

जवाब के अनुरुप अविलम्ब कार्रवाई अपेक्षित है।

(ख) आयकर की कम कटौती (₹ 59,039.00)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी के अंतर्गत प्रत्येक कार्य संवेदक के विपत्र से टी0डी0एस0 की कटौती के संबंध में अनुरोध प्राप्त है। ध्यातव्य हो कि इस संबंध में फर्म के रूप में कार्यरत संवेदकों से 2 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत संवेदकों से 1 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती का प्रावधान है।

जिला शहरी विकास अभिकरण सुपौल से संबंधित रोकड़ बही के नमूना जाँच में पाया गया कि मेसर्स शिव शक्ति कंशट्रक्शन के बिल/विपत्र से आयकर की कम कटौती की गई है। विवरण निम्न है –

क्रंमाक	दिनांक	रोकड़वही पृष्ठ सं0	विपत्र राशि	1 प्रतिशत कटौती की राशि	2 प्रतिशत कटौती राशि
1	01.10.2016	38	3658615.00	36586.00	73,172.00
2	07.01.2017	43	2245263.00	22453.00	44,906.00
			कुल	59,039.00	1,18,078.00

अर्थात मेसर्स शिव शक्ति कंशट्रक्शन के विपत्र से आयकर की कटौती (2 प्रतिशत) यानि राशि रू–1,18,078.00 काटा जाना था जबकि राशि रू–59,039.00 की कटौती की गई। यह पूछे जाने पर कि संवेदक के विपत्र से आयकर के रूप में ₹ 59039 की कम कटौती क्यों की गई, जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि अधिक राशि भुगतान का समायोजन कर लिया जाएगा।

जवाब के अनुरुप कार्रवाई कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाये।

कंडिका –4

(क) सुपौल समाहरणालय परिसर में नागरिक सुविधा एवं सौन्दर्यीकरण कार्य की *समीक्षा*

योजना का नाम एम एम एन भी वाई (मुख्यमंत्री नगर विकास योजना)

एकरारनामा संख्या 01 एफ 2 /2013-14

एकरारनामा की तिथि 17.5.2013

एकरारनामा की राशि रु0 3849464 परिमाण विपत्र से 15 प्रतिशत कम पर

कार्य आरम्भ की तिथि 15.5.2013

कार्य समाप्ति की तिथि 14.8.2013

संवेदक का नाम श्री प्रिया रंजन

अद्यतन भुगतान रु0 3811243/–मापी पुस्त संख्या 2 5वॉ चालू विपत्र पृष्ठ संख्या–27

समीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गई–

1. अतारांकित/ गैर अधिसूचित कार्य के चयन के फलस्वरुप अप्राधिकृत व्यय रु0 38.11 लाख – मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के मार्गदर्शिका में यह स्पष्ट किया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत किन कार्यो को लिया जाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क नाली एवं सार्वजनिक स्थलों पर नागरिक सुविधा मुहैया कराना है। संदर्भित कार्य मार्गदर्शिका के उक्त उदेश्य की पूर्ति नहीं करता। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत उचित कार्य का चयन नहीं किया गया तथा उसपर अभी तक रु0 38.1। लाख व्यय किया जा चुका है (मापी पुस्त के अनुसार रु0 38.11 लाख)। ज्ञातव्य हो कि इस अवधि का जिला स्तरीय संचालन समिति का कार्यवाही बही लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया परिणामस्वरुप यह ज्ञात नहीं हो सका कि योजना का चयन किस स्तर से तथा किस प्राधिकार के तहत किया गया। अत; लेखा परीक्षा का मानना है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय रु0 48.607 लाख अप्राधिकृत है।
2. संवेदक को अप्रत्यक्ष लाभ रु0 3.37 लाख– अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक प्र0 6/1/वी–12/2003–3376(एस) दिनांक 17.8.2010 के बिन्दु सं0 4 के अनुसार अनबैलेंसन्ड दर के लिए संवेदक से एडिशनल परफारमेन्स सिक्युरिटी लिया जाना चाहिए। क्लाउज के अनुसार अनुसूची दर से 15 प्रतिशत कम पर एकरारनामा किये जाने की स्थिति में एकरारित राशि का 8.75 प्रतिशत रु0 336828 एडिसनल परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी लिया जाना चाहिए था जो नहीं लिया गया और संवेदक को लाभ पहुँचाया गया।
3. कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध– कार्य का परिणाम विपत्र एवं एकरारनामा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जी एस बी के किस ग्रेड का इस्तेमाल किया जाना था। इतना ही नहीं मापी पुस्त में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जी एस बी के किस ग्रेड का इस्तेमाल किया गया। मापी पुस्त में उपयोग किये गये सामग्री का सार भी अंकित नहीं किया गया परिणामस्वरुप कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में उपयोग किये गये यह स्पष्ट नहीं हो सका। आगे यह भी पाया गया कि आर सी सी कार्य की मात्रा में कोई अन्तर नहीं था जबकि सरिया 244.09 कि0ग्रा0 कम मात्रा में लगाया गया। स्पष्टत; आर सी सी से संबंधित कार्य निम्न गुणवत्ता का था। फलत; समावेशित रुप से कार्य के निम्न गुणवता पूर्ण होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
4. कार्य के परिणाम विपत्र एवं मापी पुस्त के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अनेक मदों में कार्य परिणाम विपत्र से 10 प्रतिशत से भी ज्यादा कराया गया जो अप्राधिकृत था। विवरण निम्न प्रकार है–

सामग्री का नाम	परिणाम विपत्र की मात्रा	मापी की मात्रा	अन्तर की मात्रा	दर	कुल मूल्य
बालू की भराई	516.72	652.11	135.39	283.57	38393
जे एस बी	434.01	495.64	61.63	2922.93	180140
					218533